

भारत सरकार
माध्यमिक शिक्षा विभाग

प्रेम, विदेश, 3 माध्यमिक शिक्षा, नारकोड, राँची

सेवा में, सचिव, सीओसीएचओ, नई दिल्ली।

राँची, दिनांक.. 12.12.04..1

विषय- भारत सरकार के अन्तर्गत संघालित विद्यार्थी विद्यालय को सीओसीएचओ, नई दिल्ली से संबंध हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गम करने के संबंध में।

महोदय, उपरोक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विभाग विद्यालय भारत सरकार के द्वारा विद्यार्थीपरान्त राज्य के अन्तर्गत संघालित तंतु अगत दान प्रक्रियत स्कूल, विद्यालय, राँची को सीओसीएचओ, नई दिल्ली से सम्बन्ध हेतु निदेश निर्गम करने एवं बन्धनों के अधीन को वर्षों के निरन्तरता की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गम करने का विषय लिखा गया है।

- 1. - विद्यालय विद्यार्थी 4650 वर्गमीटर भूखण्ड स्वयत्त्वत जीट के निर्गम के जो एक वर्ष के अन्दर आरंभिकी से निर्गम कर परिवर्तित कर लिया जायेगा।
- 2. - विद्यालय में एक वर्ष के अन्दर 60x60 फुट 3500 वर्गमीटर का एक डॉन ज निर्मा-य कर लिया जायेगा।

उपरोक्त बातों एवं बन्धनों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक - 5.9.2001 के अन्तर्गत में निम्नलिखित बातों एवं बन्धनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

- 1. - विद्यालय की वार्षिक व्यय आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत को व्यय होती अना अग्रोण भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को क्व के का राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को वेव केन एवं मत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।
- 2. - विद्यालय को क्वी प्रारंभ का अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 3. विद्यालय को क्वरी क्षेत्र में 2000 ई. स. एवं प्रारंभिक क्षेत्र में 4000 ई. स. अनुदान विद्यालय के नाम से निर्गमित का क्व के का 3000 ई. स. वर्षों के निर्बंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए, यदि भविष्य में क्वीपरान्त विगत विधिति पाई जायेगी तो

16- एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय जारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विभागत सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिखे जायेंगे उक्तका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्वया शक्तों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

विभागाध्यक्ष,

[Handwritten Signature]

निदेशक,

श्री माध्यमिक शिक्षा विभाग, जारखंड राँची।

हापंक.... 3114.... / राँची, दिनांक 12.12.2014

प्रतिलिपि- संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिना शिक्षा महाविभाग-राँची/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

निदेशक,

श्री माध्यमिक शिक्षा विभाग, जारखंड राँची।

हापंक.... 3114.... / राँची, दिनांक 12.12.2014

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, जारखंड, के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, जारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]

निदेशक,

श्री माध्यमिक शिक्षा विभाग, जारखंड राँची।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
 5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डीमोल या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
 6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्रों का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
 7. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रियता का संघार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्धक, शारीरिक एवं व्याक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा।
 8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।
 9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीनपरान्त संशोधन कर लेगी।
 10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शाली विद्यालय के सदस्यों की कार्यक्षमता पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
 11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एकाडेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
 12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5. 9. 2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
 13. - उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार जो अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
 14. - अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा तयारहित कागजातों एवं अभि-लेखों का जाली या वास्तविक स्थिति के भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
 15. - विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, शारुंड के सक्षम पदाधि-कारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अका-दमिक अनियमितताओं की जाँच करा लेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर लेगी।

3114
17/12/2024

कृपु030